

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 (बिन्दु संख्या 83) के अन्तर्गत दायर अपील संख्या 01/2015-16

मेसर्स हेमा कन्स्ट्रक्शन 1 -र- 56 गायत्री नगर, हिरण मगरी सेक्टर नम्बर 5 उदयपुर
बनाम
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग उदयपुर

निर्णय

दिनांक 24.09.2015

मेसर्स हेमा कन्स्ट्रक्शन 1 -र- 56 गायत्री नगर, हिरण मगरी सेक्टर नम्बर 5 उदयपुर ने पत्र दिनांक 28.08.2015 से राज्य सरकार की सक्षमता के अधीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग उदयपुर द्वारा निविदा सूचना संख्या 06 वर्ष 2015-16 द्वारा आमन्त्रित की गई निम्न कार्य की निविदा में भाग लिया गया।

“बेलेन्स वर्क ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ सागवाडा वितरिका फ़्रोम आरडी. 0 से 15 किमी ऑफ़ टेकिंग फ़ोम भीखा भाई सागवाडा केनाल आरडी. 82500 मी (लेफ्ट साईट)”

कार्य की तकनीकी बिड में तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मेसर्स हेमा कन्स्ट्रक्शन 1 -र- 56 गायत्री नगर, हिरण मगरी सेक्टर नम्बर 5 उदयपुर को अयोग्य घोषित किये जाने के निर्णय के विरुद्ध संवेदक द्वारा राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग जयपुर के समक्ष अपील दायर की एवं नियमानुसार फीस राशि रूपये 2500/-- फीस(डी.डी.197078) जमा करवाई गई।

अपीलार्थी द्वारा अपील दायर कर निम्नानुसार प्रार्थना की है :-

5. Grounds of Appeal:-

- That the decision of the Tender ining Authority who uploaded Technical Bid Evaluation Summary has grossly erred in holding that the work is completed with penalty misinterpreting the verification of the Executive Engineer(IV)U.I.T.,Udaipur that the decision of the time extension case is pending and which will be granted with or without penalty, and hence at present he cannot comment on the point of penalty .Since there is no negative comments regarding penalty the evolution committee cannot assume. that the time extension will be given with penalty. The only condition which was looked into by the authority was as to whether tender has enough work experience to execute the work or not but they can't looked into merits of other work which was not executed under them or even if it was done under them like time extension or delay because in that project delay could have been attributed to variety of reasons like improper acquisition of land , opposition of land owners, non handing over the site by state of non-supply of material etc. However it is pertinent to mention here that in the Instant matter authority failed to appreciate the work experience certificate issued by the UIT. In which they have certified that entrusted work to firm have been completed successfully and that is sufficient to satisfy the requirements of NIT terms and conditions.
- That the Executive Engineer has himself recommended the time extension case without penalty .Since beginning no penalty for delay has ever been imposed on the Applicant and has been paid the

payment of escalation which can only be paid where there is no penalty , it strongly goes to prove that work was completed satisfactorily.

- c) That the Bid Evaluation committee has also erred in rejecting on the ground that M/s Hema Construction, Udaipur registered in AA Class with the PWD has not got re-examined his registration . The tender cannot be rejected on this ground because 1.The Applicant's registration has not been cancelled in PWD and is still in force and is being allowed to participate in their tenders and have got the works sanctioned recently.2 The applicant has already applied for re-examination which is pending in PWD. 3 The Applicant has paid full earnest money and hence this re-examination of registration is irrelevant .4 The Applicant is AA class registered contractor in other departments also like Rajasthan Housing Board, U.I.T., Rajasthan Avs Vikas infrastructure and Rajasthan Krishi Vipan Board etc.
- d) That the message regarding rejection of tender was given after opening of the Bids(i.e. at 5.57 pm on 28.08.2015) without providing opportunity to protest wrong rejection. Thus the decision of rejection of tender is bad and illegal on this score also.
- e) That the Govt. will incur heavy losses due to this illegal decision.
- f) That the appellant qualifies all the criteria of qualification and deserve to be qualified.
- g) That the appellant, however, declares that the so called reasons are false , vague and baseless and are based on surmises.
- h) That the appellant reserves the right to add , delete, modify or after the grounds of appeal.
- i) Being prejudice by the court decree execution on dated 26.08.2015 against defended. Department illegally and wrongfully action taken by the Department.

6. It is respectfully Prayed as under:

- a) The decision/sanction of the financial bid be stayed till the decision of the appeal as per provision of Rule 87 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,2012.
- b) The Applicant be given opportunity to submit other grounds and opportunity of being heard.
- c) The Applicant may please be permitted to disclose his tendered rate to evaluate the financial loss to the Government .
- d) The technical bid of the appellant be treated as qualified /responsive bid.
- e) The other reliefs which the appellate authority may deem fit.

उक्त के संबंध में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग उदयपुर ने अवगत कराया है कि तकनीकी बिड Qualification-3 (General Experience-B) The applicant shall have successful experience as prime contractor in completing at least one contract of nature and complexity comparable to the proposed contract within the last five financial years of value not less than 35% of G-Schedule amount i.e. Rs. 386.91 Lac. This completed contract shall include the quantities of following items mentioned below.

S.No.	Item	Qty.
1.	E/W Excavation/Embankment	23024.00 Cum
2.	Stone Masonry	5118.00 Cum
3..	C .C.(RCC + PCC)	2061.00Cum

A detailed note giving the detail of such contract executed in past along with the certificate from employer or Engineer in-charge not below the rank of Executive Engineer for having completed such work satisfactorily in the time should be appended. बिड के अनुसार संवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु अधिशाषी अभियन्ता. वितरण खण्ड बामुन, माही परियोजना गद्दी ने अपने पत्रांक 1571 दिनांक 07.08.2015 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता (चतुर्थ) नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से प्रमाण पत्र का सत्यापन हेतु लिखा गया तो उनके द्वारा यह जानकारी दी की " उक्त कार्य के Final Bill का भुगतान किया जाना शेष है एवं Final Time Extension प्रकरण नगरीय विकास विभाग, जयपुर के स्तर पर निर्णित होना है। उनके पश्चात

समयावृद्धि With/Without Penalty स्वी.होगी है अतः वर्तमान में उक्त कार्य पर Penalty के कम में कुछ भी लिखा जाना उचित नहीं होगा। चूंकि उक्त कार्य अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 06.06.2011 एवं समाप्ति दिनांक 05.09.2012 थी किन्तु वास्तविक कार्य दिनांक 05.02.2015 को पूर्ण किया गया है। Qualification-3 (General Experience-B) के अनुसार विगत पाँच वर्षों में एक सन्तोषजनक कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, किन्तु संवेदक द्वारा प्रस्तुत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र उक्त कार्य की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि समयावृद्धि With/Without Penalty स्वीकृत होगी। अतः successful experience as prime contractor in completing at least one contract नहीं होने के कारण संवेदक तकनीकी मापदण्ड पूर्ण नहीं करता है।

अपील के संबन्ध में प्रस्तुत किये गये तथ्यों/अभिलेख/साक्ष्यों के परिक्षण उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि :-

1. मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर ने उनके पत्रांक एफ.3-15(सी) एए-315/अनुभाग-3/बी 842 दिनांक 24.09.2015 के द्वारा अवगत कराया है कि मैसर्स हेमा कन्स्ट्रक्शन 1 -र- 56 गायत्री नगर, हिरण मगरी सेक्टर नम्बर 5 उदयपुर स्थाई पंजीकृत है। परन्तु संवेदक द्वारा लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम के नियम-334 परिशिष्ट VII-2 एवं VII-6 के अनुसार स्थाई पंजीयन को प्रत्येक दो वर्ष में पंजीयन को रिव्यू/पुनरावलोकन नहीं करवाया है। अपीलार्थी का राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, यु.आई.टी, राजस्थान आवास विकास इन्फ्रा. एण्ड राजस्थान कृषि पालन बोर्ड में "अअ" श्रेणी का पंजीयन है जिसका उल्लेख तकनीकी बिड में प्रस्तुत नहीं किया है।
2. मैसर्स हेमा कन्स्ट्रक्शन उदयपुर द्वारा कार्य की तकनीकी बिड के बिन्दु संख्या 3.2 बी में प्रस्तुत किये कार्यानुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य के समयावधि प्रकरण में सक्षम स्तर पर निर्णय नहीं लिया गया है तथा अन्तिम बिल का भुगतान भी नहीं हुआ है। अतः यह कार्य, सफलता पूर्वक कार्य पूर्णता की श्रेणी में नहीं आता है।

अतः अपीलार्थी मैसर्स हेमा कन्स्ट्रक्शन उदयपुर द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील निरस्त की जाती है।

(सुमनेश लाल माथुर)
अपील अधिकारी,
मुख्य अभियन्ता
जल संसाधन विभाग जयपुर

क्रमांक :-F.2(96)AS/I/Cell/15/ 3958

दिनांक:- 30/9/2015

1. निर्णय की प्रति निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-
 2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग उदयपुर।
 3. मैसर्स हेमा कन्स्ट्रक्शन 1 -र- 56 गायत्री नगर, हिरण मगरी सेक्टर नम्बर 5 उदयपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता PMU जल संसाधन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्णय तत्काल राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित करवाया जावे।

अपील अधिकारी,
मुख्य अभियन्ता
जल संसाधन विभाग जयपुर

ADLIT)

5-11-15